

प्रेषक,

सचिव,
प्राविधिक शिक्षा परिषद,
उत्तर प्रदेश लखनऊ।

सेवा में,

अध्यक्ष / सचिव

बन् दर्शन सिंह, शिवराम सिंह, फार्मसी कालज, किलनी रोड, कवला, मेनपुरी सीमावर्ती/टार - सन्,
दरम सिंह, शिवराम सिंह, चैदीदेवल टार, किलनी रोड, कवला, मेनपुरी।

लखनऊ, दिनांक- 14-7-2022

पत्रांक- प्राशिय/परिषद/2022/5846

विषय- सत्र 2022-23 हेतु संस्थान की अनापत्ति पत्र निर्गत किये जाने के संबंध में।

उपरोक्त विषयक फार्मसी काउन्सिल ऑफ इण्डिया (पीसीआई) के पत्रांक 14-56/2022 (Approval Process for 2022-23 as)/11621-23 दिनांक 21-6-2022 एवं मा० उच्चतम न्यायालय के आदेश दिनांक 31-5-2022 को संदर्भित करने का कष्ट करे, जिसके अनुक्रम में सत्र 2022-23 हेतु डिप्लोमा इन फार्मसी पाठ्यक्रम संचालित किये जाने हेतु आप द्वारा सहमति/अनापत्ति निर्गत किये जाने के संबंध में अनुरोध किया गया है।

सूच्य है कि प्राविधिक शिक्षा परिषद, उत्तर प्रदेश लखनऊ डिप्लोमा स्तरीय तकनीकी शिक्षण संस्थाओं को सम्बद्धता प्रदान करता है, एवं इस हेतु अधिकार भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद, नई दिल्ली/पीसीआई, नई दिल्ली से प्रत्येक संस्थान एवं पाठ्यक्रम के अनुमोदनोपरांत ही संस्थान की सम्बद्धता पर विचार करता है।

मा० उच्चतम न्यायालय के आदेश दिनांक 31-5-2022 एवं पीसीआई, नई दिल्ली के उक्त पत्र संदर्भ संख्या 14-56/2022 (Approval Process for 2022-23 as)/11621-23 में दिये गये निर्देशों के अनुक्रम में राज्य स्तरीय समिति द्वारा दी गयी संस्तुति के आधार पर संस्था को सहमति/अनापत्ति पत्र मा० उच्चतम न्यायालय में पेश किया एस०एल०पी० न० 406/2022 में पेशित अंतिम निर्णय के प्रतिक्रिया के साथ प्रदान की जा रही है कि संस्था द्वारा सत्र 2022-23 हेतु फार्मसी काउन्सिल ऑफ इण्डिया, नई दिल्ली द्वारा प्रदत्त अनुमोदन पत्र, सत्र 2022-23 हेतु परिषद इन अनापत्ति सम्बद्धता/सम्बद्धता विस्तार की दृष्टि से पूर्व प्राप्त कराया जाना अनिवार्य होगा। उपरोक्त अवधि तक यदि संस्था द्वारा अनुमोदन पत्र परिषद कार्यालय में प्राप्त नहीं कराया गया तो ऐसी स्थिति में संस्था को सत्र 2022-23 हेतु परिषद से सम्बद्धता प्रदान करने पर विचार नहीं किया जायेगा।

उपरोक्तानुसार निर्गत सहमति पत्र प्रतीकात्मक है, और उपरोक्तानुसार निर्मित शर्तों को पुर किये जाने पर ही मान्य होगा। साथ ही संघ्य पत्र में दी गई जानकारी तथा पीसीआई/आई। परिषद द्वारा निर्धारित शर्तों/मानकों के अनुसार संस्था का स्वीकृत निरीक्षण एवं अभिलेखीय सत्यापन माह के अंदर सुनिश्चित किया जायेगा। अभिलेखों के सत्यापन की पुष्टि न होने तथा स्वतंत्र निरीक्षण में मानकों/शर्तों के पूर्ण न किये जाने पर अनापत्ति तत्काल प्रभाव से निरस्त की जाएगी।

भवदीय,


(सुनील कुमार सोनक
सचिव

तददिनांक- 14-7-2022

10- प्राशिय/परिषद/2022/5846-47

लिपि- निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं कार्यवाही हेतु प्रेषित-

1. निदेशक, प्राविधिक शिक्षा, उ०प्र०, कानपुर।
2. रजिस्ट्रार-कम-सेक्रेटरी, फार्मसी काउन्सिल ऑफ इण्डिया, कम्बाइन्ड काउन्सिल ऑफ टैम्पल लेन, कोटला रोड, एयान-ए-मालिब मार्ग, नई दिल्ली- 110 002


Principal
Babu Darshan Singh
Shivram Singh Pharmacy College
Karhal (Mainpur)

(सुनील कुमार सोनक
सचिव